न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 10/2015/अपील

शहाबूदीन पुत्र बाबू खां पठान जाति पठान मुसलमान निवासी ग्राम सबलपुरा तहसील व जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 अमीरूदीन पुत्र अलीम खां
2 जहांगीर पुत्र अलीम खां
समस्त जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 23 हकीम साहब की दरगाह के पास, सीकर
3 तहसीलदार तहसील कार्यालय सीकर जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 625 दिनांक 12.06.2009 द्वारा तहसीलदार सीकर

वकील अपीलांट श्री राजेश चौधरी
वकील रेस्पोडेंट श्री हरफूलसिंह खीचड़

निर्णय **दिनांकः–31.12.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 781 रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 482 रकबा 3.06 है0, ख0नं0 483 रकबा 0.1 है0, ख0नं0 484 रकबा 0.2 है0, ख0नं0 485 रकबा 3.87 है0 किता 5 कुल रकबा 7.70 है0 तन ग्राम सबलपुरा में अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित कृर्षि भूमि में अपीलांट ने आमीन पुत्र अब्दूल करीम से दिनांक 01.10.2008 को अपना हिस्सा सम्पूर्ण दिनांक 01.10.2008 को जरिये विक्रय पत्र क्रय कर क्रयशुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। तथा अपीलांट ने उपरोक्त कृषि भूमि में क्रयशुदा भूमि पर कब्जा प्राप्त कर व विधिवत रूप से काश्त करना प्रारम्भ कर दिया। तथा पटवारी हल्का ने अपीलांट के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 631 दिनांक 22.12.2008 को नामान्तकरण भरकर तहसीलदार सीकर द्वारा तस्दीक किया जाकर अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित हो गया। अपीलांट का उपरोक्त भूमि में राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने के बाद अपीलांट के कब्जे काश्त करने के बाद गैर अपीलांट संख्या 1 व 2 अन्य सहखातेदारों से मिलकर अपीलांट को बिना विधिवत् बंटवारा किये उक्त कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो गये। जिस पर वादी ने अन्य सहखातेदारों को विधिवत बंटवारा करने को कहा तो अन्होने स्पष्ट रूप से मना कर दिया तथा अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि पर कब्जा करने तथा दूसरे भू–माफिया को विक्रय करने पर आमादा हो गये। गैर अपीलांट संख्या 1 व 2 के मन में बेईमानी होने व अपीलांट को जबरन अपने कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा होने के कारण अपीलांट ने एक दावा सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर के समक्ष बउनवानी शहाबुद्धीन बनाम मोहम्मद आमीन वगै0 प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित कर

राजस्व रिकार्ड व विक्रय करने से प्रतिबंन्धित किया। जिसके कारण दिनांक 06.10.2008 को पटवार हल्का ग्राम सबलपुरा द्वारा नामान्तकरण भरे जाने पर स्थगन आदेश हो गया। दिनांक 08.06.2009 को न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय ने गैर अपीलांट के दावा में आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का आवेदन पेश करने व बिना पक्षकार बने ही वादी का वाद अदम हाजरी में निरस्त कर दिया। गैर अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा गैर अपीलांट संख्या 3 से व पटवारी ग्राम सबलपुरा व राजस्व कर्मचारियों से साजकर बिना विधिवत प्रक्रिया के ही दिनांक 12.06.2009 का नामान्तकरण गैर अपीलांट संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया। अपीलांट ने माननीय न्यायायल सहायक कलक्टर द्वितीय के समक्ष उपरोक्त आराजी कृषि भूमि के बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व उदघोषणा के लिये बउनवानी शहाबुद्धीन बनाम मोहम्मद आमीन दावा प्रस्तुत कर रखा है जो आज भी न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश प्रभावी है। उक्त समस्त प्रकरण की जानकारी पटवारी ग्राम सबलपुरा तहसीलदार सीकर को होने के बावजूद भी गैर अपीलांट संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जो खिलाफकानून होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सीकर द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 625 दिनांक 12.06.2009 को निरस्त किया जावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पो. को नोटिस जारी किये गये। रेस्पो. की और से वकील श्री हरफूलसिंह खीचड़ ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में बहस हेतु निर्धारित तिथि को अधिवक्ता उभयपक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण मुताबिक विक्रय पत्र के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 06.10.2008 को भरा गया व भू.अ.निरीक्षक द्वारा दिनांक 12.12.2008 को जांच की गई एवं इसके पश्चात् तहसीलदार सीकर द्वारा दिनांक 12.06.2009 को नामान्तकरण तस्दीक किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के अपील मेमों में अंकित तथ्यों जैसे विवादग्रस्त आराजियात के बाबत सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर के न्यायालय में वाद विचाराधीन होने एवं उक्त आराजियात के बाबत राजस्व रिकॉर्ड व विक्रय किये जाने के सम्बंध में स्थगन आदेश प्रभावी होने सम्बंधित किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों के मुताबिक अपीलाधीन नामान्तकरण स्थगन आदेश प्रभावी रहने के दौरान भरा गया है, इस सम्बंध में उक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर द्वारा पारित स्थगन आदेश सम्बंधित दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने एवं कहने मात्र से अपीलाधीन नामान्तकरण के सम्बंध में किसी प्रकार की दखलंदाजी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/12/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर